कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड़, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023
फोन नं. - 0788 2350125, फैक्स नं. - 0788 4040118
ई-मेल : Bhilai-Nagar-Nigam@cg.gov.in

क्रमांक / **PROJ-41/74/2026-PWD SEC COMM MCB DUR** भिलाई, दिनांक : 09.03.2026

प्रति,

1. जोन आयुक्त, (जोन क्र. 1,2,3,4 एवं 5)
   नगर पालिक निगम भिलाई
2. कार्यपालन अभियंता (जल कार्य, भवन संधारण, परियोजना, डाटा सेंटर)
   नगर पालिक निगम भिलाई
3. स्वास्थ्य अधिकारी
   नगर पालिक निगम भिलाई
4. उद्यान अधिकारी
   नगर पालिक निगम भिलाई
5. प्रभारी अधिकारी (स्टेशनरी)
   नगर पालिक निगम भिलाई

विषय :- विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्र.-365 द्वारा मान. श्री धरमलाल कौशिक, माननीय सदस्य विधानसभा। (निकायों द्वारा भण्डार क्रय नियम 2002 के उल्लंघन एवं गलत/अपूर्ण जानकारी के संबंध में।)

संदर्भ :- संचालनालय का पत्र क्र/या.प्र.-5/वि.स./ध्या./फर-मार्च/2026/2097 अटल नगर दिनांक 09.03.2026

उपरोक्त विषयांतर्गत् संदर्भित पत्रानुसार पूर्व में विधानसभा प्रश्न क्र.-333 प्रेषित किया गया था, जिसमें अपूर्ण जानकारी का उल्लेख करते हुए पुनः विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्र.-365 के माध्यम से जानकारी देने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त संदर्भित पत्र संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। संबंधित जानकारी तत्काल हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राथमिकता से उपलब्ध करावे जिससे तत्काल जानकारी प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Ajit Kumar Tigga
Date: 09-03-2026
18:29:03

अधीक्षण अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई

क्रमांक / **PROJ-41/74/2026-PWD SEC COMM MCB DUR** भिलाई, दिनांक : 09.03.2026

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

अधीक्षण अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

इन्द्रावती भवन चतुर्थ तल डी ब्लॉक अटल नगर नवा रायपुर.

(Phone : 0771-2235828 E-Mail : technicalcellraipur2017@gmail.com)

क्रं./ या.प्र.–5/वि.स./ध्या./फर.–मार्च/2026/ 2097 अटल नगर, दिनांक 9.3.2026

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम– भिलाई
सुपेला–भिलाई
जिला–दुर्ग

विषय :– विधानसभा सत्र फरवरी–मार्च, 2026 ध्यानाकर्षण सूचना कमांक 365 द्वारा श्री धरमलाल कौशिक, विधानसभा सदस्य, छ.ग. शासन ।

****

विषयान्तर्गत विधानसभा सत्र फरवरी–मार्च, 2026 ध्यानाकर्षण सूचना कमांक 365 द्वारा श्री धरमलाल कौशिक, विधानसभा सदस्य, द्वारा दिनांक 25.02.2026 को विधानसभा प्रश्न क. 333 में झूठी एवं अपूर्ण जानकारी दिए जाने का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 28.02.2026 को https://et.bhilainagarnigam.com/Tender.php/ वेब साइट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में प्रपत्र मुद्रण कार्य हेतु, जुलाई 2025 डिजिटल लाईब्रेरी के संचालन हेतु ईआआई, सीसीटी कैमरा व जून 2025 बेलिंग मशीन, ~~उद्योगों~~ उद्यानों का रखरखाव, मई 2025 में Bacteriological H2s Vials कय करने का कार्य व जनवरी 2026 साईन बोर्ड प्रदाय इत्यादि अनेकों की जानकारी नही दी गई है।

अतः उक्त के संबधं में अपना प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियंता
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक 365

छत्तीसगढ़ विधानसभा

ध्यानाकर्षण सूचना

रायपुर, दिनांक 08/03/2026

प्रेषक :

श्री धरमलाल कौशिक,
सदस्य, विधानसभा,

प्रेषिती :

सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर

विषय: निकायों द्वारा भण्डार क्रय नियम 2002 के उल्लंघन एवं गलत/अपूर्ण जानकारी के संबंध । .

महोदय,

मैं नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 08/03/2026 को उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय सार्वजानिक महत्त्व के विषय की ओर आकर्पित करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे.

नगरीय प्रशासन विभाग में भण्डार क्रय नियम 2002 को खुलकर उल्लंघन करते हुए सामग्री व सेवा क्रय में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भण्डार क्रय नियम 2002 में जुलाई, 2024 में किये गए संशोधन अनुसार प्रदेश में किसी भी प्रकार की सामग्री व सेवा के क्रय से संबंधित निविदा सिर्फ जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जानी है और जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा नही की जानी है तो वित्त विभाग की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। दिनांक 25 फरवरी, 2026 प्रश्न क्रमांक 333 के उत्तर में परिशिष्ट अ जिसमें जेम पोर्टल के आलावा अन्य माध्यम से सामग्री व सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रण की जानकारी दी गई है। सामग्री क्रय हेतु क्रमांक 2,6,23,24,43,43,44,52,54,64,65,80 से 83 तक, 87 से 89 तक एवं सेवा प्राप्त करने हेतु क्रमांक 1,3,4,5,7,14,15, 25 से 41 तक, 47 से 51 तक आदि में सामग्री व सेवा क्रय जेम पोर्टल से न करते हुए ई-निविदा व मैन्युअल पद्धति से की गई है जो कि भण्डार क्रय नियम व शासन आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है तथा विभाग के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भी जिले व निकाय के अधिकारियों पर कार्यवाही न करते हुए उनकों संरक्षण देकर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नियम की धज्जियां उडाई जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार और बढेगा। इसी प्रकार उक्त प्रश्न के प्रपत्र ब में कुल ईओआई के माध्यम से कार्य दिये जाने की भी जानकारी दी गई है जबकि भण्डार क्रय नियम में इसका कोई प्रावधान नही है साथ ही भिलाई नगर पालिका निगम द्वारा विधानसभा में झूठी व अपूर्ण जानकारी दी गई है। दिनांक 28.02.2026 को https://et.bhilainagarnigam.com/Tender.php/ वेब साईट

में उपलब्ध जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में प्रपत्र मुद्रण कार्य हेतु, जुलाई 2025 डिजिटल लाईबेरी के संचालन हेतु ईओआई, सीसीटी कैमरा व जून 2025 बेलिंग मशीन, उद्यानों का रखरखाव, मई 2025 में Bacteriological H2s Vials क्रय करने का कार्य व जनवरी 2026 साईन बोर्ड प्रदाय इत्यापदि अनेकों ऐसे कार्य है जिसकी जानकारी उक्त प्रश्न में नही देकर विधानसभा में अपूर्ण/गलत उत्तर व जानकारी दिया जाना प्रतीत होता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी का परीक्षण न करने से प्राप्त अपूर्ण/गलत जानकारी विधानसभा में दिया जाना तथा भण्डार क्रय नियम का एवं जुलाई, 2024 में जारी शासन आदेश/निर्देश का उल्लंघन कर भारी भ्रष्टाचार किये जाने से जनता में भारी रोष व्याप्त है।

भवदीय

धरमलाल कौशिक
(क्षेत्र क्रमांक 29)

नोटः (1) नियम 138(2) के अनुसार जहाँ किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जायगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता सदस्य ने सूचना दी हैं.

(2) अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक 22(2) के अनुसार यह सूचना तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Print